



डॉ० अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 21.11.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

थाना – बरदह, जनपद – आजमगढ़

दिनांक-21.11.2025

➡️ □ थाना बरदह पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दिनांक 10.10.2025 को थाना बरदह के दुर्गापुर पुलिस थाना पर जनसेवा केन्द्र संचालक के साथ हुई छिनैती की घटना में वांछित 25000 रुपये का इनामिया अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार।

➡️ □ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध नियंत्रण, वांछित/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी एवं डकैती की घटनाओं के अनावरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 20.11.2025 को थाना बरदह पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। पुलिस टीम द्वारा की गई घेराबंदी के दौरान एक शातिर व वांछित अपराधी 25,000 रुपये का इनामियां अभियुक्त शिवम उर्फ पगू यादव पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार किया गया।

➡️ □ अभियुक्त के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस एवं मोटर साइकिल बरामद हुई तथा डकैती की घटना का खुलासा हुआ।

घटना का विवरण-

दिनांक 20.11.2025 को थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह मय फोर्स के साथ क्षेत्र में मामूर थे, इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 10.10.2025 को दुर्गापुर पुलिस थाना के पास हुयी डकैती में शामिल अभियुक्त शिवम उर्फ पगू यादव मोटर साइकिल से सरायख्वाजा की तरफ से अर्रा की ओर जाने वाला है। पुलिस टीम द्वारा सूचना की सत्यता पर विश्वास करते हुए कमालपुर-अर्रा मार्ग स्थित बैरी मोड़ पर घेराबंदी कर दी गई। कुछ समय बाद एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। थानाध्यक्ष द्वारा रुकने का इशारा करने पर अभियुक्त घबराकर मोटर साइकिल मोड़ने लगा और फिसल कर गिर पड़ा। गिरते ही अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस बल पर फायरिंग किया गया। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा नियंत्रित एवं सीमित फायरिंग की गई। जिसमें घेराबंदी के दौरान एक शातिर व वांछित अपराधी 25,000 रुपये का इनामियां अभियुक्त शिवम उर्फ पगू यादव पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया जिसके दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु सीएचसी बरदह भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. शिवम उर्फ पगू यादव पुत्र मगरु यादव, निवासी – ग्राम मडही, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर
बरामदगी-

01. एक अदद देशी तमंचा .315 बोर
02. एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर
03. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
04. 01 अदद लाल/काला रंग की बिना नंबर की मोटर साइकिल Honda Dream Yuga
05. ₹1100/- नकद
06. एक अदद मोबाइल फोन (Vivo)

अनावरण अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 306/25 धारा 309(4) बीएनएस थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 361/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

पूछताछ का विवरण:-

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि थाना बरदह क्षेत्र में दिनांक 10.10.2025 को मैं अपने साथियों 01. आशुतोष सिंह, 02. संदीप यादव 03. आनंद यादव 04. गौरव जायसवाल 05. विपिन यादव के साथ मिलकर दुर्गापुर पुलिसिया पर जन सेवा केंद्र संचालक के साथ हुई ₹92,000/- की डकैती को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया था तथा रुपये आपस में बाँट लिये थे।

पुलिस टीम-

01. थानाध्यक्ष – राजीव कुमार सिंह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
02. उ0नि0 – रितेश कुमार खरवार, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
03. उ0नि0 – संजय कुमार, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
04. उ0नि0 – रविन्द्र भारती, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
05. हे0का0 – उपेन्द्र कुमार, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
06. का0 – त्रिलोक नाथ पाण्डेय, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
07. का0 – वाल्मीकि निषाद, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
08. का0 – ललित सरोज, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
09. का0 – आशुतोष वर्मा (चालक), थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
10. का0 – आलोक सिंह (सर्विलांस सेल, आजमगढ़)

